सं.**44/1/2007**-आरई
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-**110001**
दिनांक **12** जनवरी, **2009**

<u>आदेश</u>

विषय: 11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु दिशानिर्देश - ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवास विद्युतीकरण योजना

1.0 ये दिशानिर्देश 11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन के द्वारा वर्ष 2009 तक सभी घरों में विद्युत पहुंचाने, लगभग 1.15 लाख अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा 2.34 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवास योजना के अंतर्गत विद्युत कनैक्शन मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जारी किए गए हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान डीडीजी के लिए 540 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी के लिए अनुमोदन दे दिया गया है, जो 11वीं योजना अवधि में आरजीजीवीवाई के लिए उपलब्ध 28000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी में शामिल है। यह आदेश सं. फाइल 44/37/07-डी(आरई) दिनांक 6 फरवरी, 2008 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

2.0 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 18.03.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं.44/19/2004-डी (आरई) द्वारा वर्ष 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की। इस योजना को दिनांक 6.2.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.44/37/07-डी (आरई) द्वारा 11वीं योजना में आगे जारी रखा गया। दिनांक 6.2.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) के लिए 540 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

3.0 ऐसे गांवों के लिए, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी है, वहां बायोमास, बायो ईंधन, बायोगैस, मिनी हाइड्रो, सोलर आदि जैसे पारंपरिक या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

4.0 रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी आरईसी के जरिए दी जाएगी। यदि इन

परियोजनाओं को इस आदेश की शर्तों के अनुसार संतोषजनक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, तो पूंजीगत सब्सिडी को ब्याज सहित ऋण में बदल दिया जाएगा।

5.0 डीडीजी परियोजनाओं का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास होगा। परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसियां, राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (एसआरईडीएएस)/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभाग या राज्य यूटिलिटियां या अभिनिर्धारित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसयू) होंगे। राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी तय करेंगी।

6.0 इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता मॉनीटरिंग तंत्र की व्यवस्था होगी। तीन चरणीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के ब्यौरे **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न हैं।

7.0 <u>सेवा प्रभार/शुल्क</u>

i) ऐसी राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, जिन्हें योजना को क्रियान्वित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की प्रथम चरण में तीसरे पक्ष की अनिवार्य निगरानी पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए प्रभार के रूप में परियोजना लागत के क्रमशः 8% और 9% की दर से सेवा प्रभार का भुगतान किया जाता है, वे परियोजना विकासकर्ता को उसके द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत उपलब्ध कराने की लागत को पूरा करने हेतु उक्त सेवा प्रभार (आवश्यक सीमा तक) परियोजना विकासकर्ता को अंतरित करने की सहमति देंगे।

ii) आरईसी को परियोजना लागत के 1 प्रतिशत की अदायगी की जाएगी। यह अदायगी कार्य सौंपने के पूर्व और कार्य सौंपने के बाद दोनें चरणों में कार्यान्वयन तथा योजना संबंधी व्यय को पूरा करने, मूल्यनिरूपण तथा मूल्यांकन और योजना की संकल्पना से लेकर उसे पूरा करने तक संपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की दूसरे चरण (आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर) में परियोजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ढांचा तैयार करने के शुल्क के रूप में की जाएगी।

iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले तीसरे चरण (राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर) पर शुरू किए जाने वाले सहायक क्रियाकलापें तथा गुणवत्ता मॉनीटरिंग के लिए परिव्यय में 1% का प्रावधान किया जाएगा। ये सहायक क्रियाकलाप क्षमता निर्माण, जागरूकता एवं अन्य प्रशासनिक और संबद्ध खर्च, फ्रेंचाइजी विकास तथा प्रायोगिक अध्ययन को आरंभ करने और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की पूरक परियोजनाओं के रूप में होंगे।

8.0 <u>मॉनीटरिंग समिति</u>

विद्युत मंत्रालय द्वारा सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित मॉनीटरिंग समिति, संशोधित लागत अनुमान सहित परियोजनाओं को स्वीकृत करेगी तथा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के अलावा इस योजना के

क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करेगी।

9.0 राज्यों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं उनकी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करने के लिए दी गई हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन क्षमता के संवर्धन के उद्देश्य से आरईसी ने एनटीपीसी, पावरग्रिड, एनएचपीसी और डीवीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उन राज्यों को, जो उनकी सेवाएं लेना चाहें, सीपीएसयू की कार्यक्रम प्रबंधन विशेषज्ञता एवं क्षमता उपलब्ध कराई जा सके । इसे एक उचित त्रिपक्षीय/चतुष्पक्षीय समझौते के जरिए लागू किया गया है।

10.0 गांवों/पुरवें की पहचान

10.1 डीडीजी परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि (i)डीडीजी की स्थापना में लगने वाले प्रयास और निवेश का उपयोग लक्षित समूहों के लिए हो और गांव को ग्रिड से एक बार जोड़ देने के बाद निवेश बेकार न हो जाए और (ii) इस पहल के लिए स्थानीय लोगों की पर्याप्त सहभागिता एवं सहयोग हो।

10.2 गांवों के चयन के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाना चाहिएः

(i) डीडीजी के जरिए विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों/पुरवें की सूची को राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभागों द्वारा राज्य की ऊर्जा यूटिलिटियों और एमएनआरई के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ii) यथासंभव गांवों/पुरवें का चयन समूह के रूप में किया जाएगा ताकि जहां भी लागू हो वहां समूहों को लाभ मिल सके। गांवों/पुरवें की निकटता के अनुसार गांव/पुरवा विशेष के लिए प्रणाली स्थापना की तुलना में एक केंद्रीय विद्युत संयंत्र के साथ इन सभी गांवों/कस्बों को शामिल करते हुए स्थानीय वितरण ग्रिड स्थापित करने के पहलू का मूल्यांकन किया जाएगा।

(iii) उन गांवों/पुरवें पर विचार नहीं किया जाए जिनमें घुमंतु/अस्थायी आबादी रहती है।

(iv) सूची को अंतिम रूप देते समय गांवों/पुरवें की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी और उन गांवों, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी अगले 5 से 7 वर्षों के बीच नहीं हो पाने की संभावना है, को डीडीजी परियोजनाओं की स्थापना के लिए पहले चुनना चाहिए।

(v) 100 से कम आबादी वाले गांवों/पुरवें को डीडीजी योजना में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और इनके संबंध में एमएनआरई द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिन गांवों/पुरवें में एमएनआरई ने काम करने की योजना बनाई है, उन्हें डीडीजी योजना से अलग रखा जाना है।

(vi) जिन गांवों/पुरवों को सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर होम लाइटिंग सिस्टम की

सुविधा दी गई है, उन पर भी डीडीजी योजना के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

(vii) इन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना इस प्रकार से की जाएगी कि वे ग्रिड के अनुकूल हों। इससे ग्रिड से विद्युत के गांव में पहुंचने पर त्वरित इंटरफेस सुनिश्चित हो सकेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि गांव के एक बार ग्रिड से जुड़ जाने पर आज किया गया निवेश बेकार न हो जाए।

11.0 प्रौद्योगिकी का चयन

डीडीजी परियोजनाएं पारंपरिक अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित हो सकती हैं। प्रौद्योगिकी का चयन विशिष्ट गांवों/पुरवों हेतु चुनी गई प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता पर निर्भर करेगा। चूंकि डीडीजी परियोजनाएं प्रगति-आनुपातिक आधार पर क्रियान्वित की जानी हैं और इन्हें अपेक्षाकृत निश्चित समय-सीमा के भीतर शुरू करना होता है, इस कारण प्रस्तावित दिशानिर्देशों हेतु विचारित विकल्प वे हैं जो या तो वाणिज्यिक परिपक्वता के चरण में पहुंच गई हैं या फिर उनकी तकनीकी व्यावहारिकता वास्तविक परिस्थितियों में प्रमाणित हैं। ऐसे विकल्पों की एक सूची नीचे प्रस्तुत है :-

- जैव- ईंधन से चालित डीजल जेनरेटिंग सेट (जट्रोफा, पोंगेमिया आदि जैसे गैर-खाद्य तेल)
- बायोमास गैसीकरण के जरिए उत्पादित प्रोडयूसर गैस द्वारा चालित डीजल जेनरेटिंग सेट (100% प्रोडयूसर गैस ईंधन)[1]
- सोलर फोटो वोल्टिक
- स्माल हाइड्रो

यह ध्यान रखा जाए कि उपर्युक्त सूची वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं और विकेंद्रित विद्युत उत्पादन के लिए बेहतर विकल्प हैं। इसके अलावा नीचे दी गई कुछ और संभावनाएं भी हो सकती हैं, जो वर्तमान में तो प्रचलित नहीं हैं किन्तु भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती हैं-

1. बायो गैस (पशु अपशिष्ट से) द्वारा चालित डीजल जेनरेटिंग सेट
2. पवन मिश्रित प्रणाली
3. अन्य नई प्रौद्योगिकी समेत अन्य मिश्रित प्रणाली

यद्यपि डीजल विकेंद्रित विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक सुविधाजनक विकल्प है, किन्तु डीजल का उपयोग केवल विकल्प के रूप में या उन स्थितियों में करना उचित होगा, जहां स्थानीय अक्षय ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति में अस्थाई बाधा होती हो।

अनुबंध-2 में प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्णय लेने का एक ऐसा तरीका बताया गया है जिसका उपयोग किसी

खास गांव/पुरवे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी चुनने में मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। **यहां इस बात पर बल दिया जाता है कि यह तरीका केवल सुझाव है और प्रौद्योगिकी का वास्तविक चयन गांव/पुरवे के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर ही किया जाएगा।**

अनुबंध-3 में एक ऐसी अवसंरचना दी गई है जो प्रौद्योगिकी के तरीके के संबंध में निर्णय लेने का आधार तैयार करता है। बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्प तथा उसका मूल्यांकन केवल सुझाव के तौर पर है और अनुमोदन हेतु डीपीआर का चयन करते समय किसी विकल्प के संबंध में विस्तृत औचित्य देना होगा।

1. इस पर तभी विचार किया जाएगा यदि परियोजना डिजाइन में बायोमास की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्पित ऊ र्जा पौधारोपण भी शामिल हो।

12.0 परियोजनाओं का वित्तपोषण एवं निधियों का प्रशासन

12.1 डीडीजी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता में निम्नलिखित परियोजना लागत शामिल होगी

क) पूंजीगत लागतओ, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- विद्युत संयंत्र के लिए अपेक्षित सभी उपस्कर एवं सहायक प्रणाली तथा सहायकपुर्जे
- सभी संबंधित सिविल कार्य। हालांकि भूमि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।
- आवश्यक नियंत्रण उपस्करों के साथ वितरण प्रणाली। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल आवासों के लिए मान्य सब्सिडी डीडीजी परियोजनाओं के लिए भी लागू होगी। विद्युत की पहुंच, स्ट्रीट लाइट, स्कूलों, समुदाय भवनों, पंचायत भवनों आदि जैसी सामान्य सुविधाओं में उपलब्ध करानी है।
- जैव ऊर्जा (केवल बायोमास गैसीकरण/जैव ईंधन परियोजनाओं के मामले में) की सतत आपूर्ति के लिए पौधारोपण हेतु आरंभिक पूंजीगत लागत
- क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा दिए गए विनिर्देश के अनुसार गैर-घरेलू लोड स्थापित करने के लिए आरंभिक पूंजीगत लागत

***** यहां पर जिन मदों के बारे में स्पष्ट रूप में नहीं बताया गया है, उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जीएफआर, 2005 के नियम 79 में उल्लिखित मानदंड लागू होंगे।

ख) **राजस्व लागतओः**

कार्य आरंभ करने के 5 वर्षों के बाद अतिरिक्त पुर्जों की लागत। पूंजीकृत परियोजना लागत में खपत योग्य वस्तुओं और श्रम की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।

ग) राज्य यूटिलिटी/एसआरईडीए/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली टैरिफ के अनुसार ग्रामीण आवासों से की जाने वाली वसूली को ध्यान में रखते हुए डीपीआर में अभिनिर्धारित कार्य आरंभ से 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत उपलब्ध कराने की लागत, किन्तु यह पड़ोसी क्षेत्र में लागू टैरिफ से कम नहीं होगी और प्रत्येक घर के अभिनिर्धारित लोड संबंधी बोली दस्तावेज में इसका उल्लेख किया जाएगा।

घ) **आसान लागत, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं**

- गांवों, प्रौद्योगिकियों का पूर्व-चयन तथा डीपीआर की तैयारी
- समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अभियांत्रिकी लागत।

ङ) **भुगतान की पद्धतः**

क्रियान्वयन एजेंसी को कुल परियोजना लागत का 90%(पूंजीलागत और आसान लागत) सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। शेष 10% की व्यवस्था क्रियान्वयन एजेंसी, स्वयं या किसी वित्तीय संस्थान अथवा आरईसी से ऋण लेकर कर सकती है। परियोजना विकासकर्ता को किए जाने वाले पूंजीगत लागत के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित भुगतान शर्तों की सिफारिश की जाती हैं:-

- पूंजीगत लागत का 70% परियोजना पूर्ण होने के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है , जिसमें परियोजना के आरंभ होने तक उपर्युक्त सूचनानुसार विद्युत प्रदान करने की लागत शामिल नहीं है ।
- पूंजीगत लागत का शेष 30% 5 वर्षों में दिया जाएगा (6% प्रति वर्ष की दर से), जिसमें उपर्युक्त विद्युत मुहैया कराने की लागत शामिल नहीं है।
- ग्रामीण आवासों से वसूली को ध्यान में रखने के बाद विद्युत मुहैया कराने की लागत का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

च) **निधियों का प्रशासन**

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं को क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

13.0 परियोजना का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया

13.1 योजना के क्रियान्वयन का समन्वय/पर्यवेक्षण के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक क्रियान्वयन सहायता समूह (आईएसजी) गठित किया जाएगा। आईएसजी की भूमिका और जिम्मेवारियां **अनुबंध-4** में बताई गई हैं।

13.2 विद्युत मंत्रालय आईएसजी/क्रियान्वयन एजेंसियों/सीपीएसयू को तकनीकी सहायता, प्रौद्योगिकी का पूर्व चयन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी में सहायता देने के लिए परामर्शदाताओं का एक पैनल अभिनिर्धारित करेगा।

13.3 क्रियान्वयन एजेंसी डीडीजी के आधार से विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों/पुरवें की प्राथमिकता सूची तैयार करेगा और परामर्शदाताओं के पैनल द्वारा डीपीआर बनवाएगा।

13.4 क्रियान्वयन एजेंसियां अपनी डीपीआर, आईएसजी को सौंपेंगी और अभिनिर्धारित सीपीएसयू क्रियान्वयन एजेंसियों को डीपीआर सौंपेंगे जो उक्त डीपीआर, आईएसजी को भेज देंगे। आईएसजा, डीपीआर की समीक्षा करेगा और इसे अनुमोदनार्थ मॉनीटरिंग समिति को भेज देगा। डीपीआर में शामिल की जाने वाली सूचनाओं की सांकेतिक सूची अनुबंध-5 के रूप में संलग्न है।

13.5 मॉनीटरिंग समिति परियोजनाओं को मेरिट आधार पर स्वीकृत करेगी।

13.6 तत्पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी बनाओ, चलाओ, रखरखाव करो और हस्तांतरित करो (बोओएमटी) आधार पर खुली निविदा आमंत्रित करेगा और कार्य सौंपेगा। कार्य सौंपने की लागत स्वीकृत लागत के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कार्य सौंपने की लागत 10औ से अधिक हो तो इसके लिए निगरानी समिति की पूर्व अनुमति लेनी हेगी।

13.7 अनुमोदन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट **अनुबंध-6** के रूप में संलग्न है।

14.0 **<u>संगठनात्मक ढांचा और सुविधा सहायता</u>**

14.1 क्रियान्वयन एजेंसी-

i) भूमि अधिग्रहण और योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देगी

ii) लोगों को संगठित करने, डीडीजी के बारे में और उपस्करों के दक्ष एवं सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए विकासकर्ताओं की मदद करना।

15.0 **<u>पात्र परियोजना विकासकर्ता</u>**

पात्र परियोजना विकासकर्ता निम्नलिखित होंगे

राज्य एजेंसियां, प्रौद्योगिकी प्रदाता, कारपोरेट हाउस, उपस्कर विनिर्माता और ठेकेदार, स्वयं-पोषित समूह, उपभोक्ता संघ, व्यक्ति, रजिस्टर्ड सोसाइटी, सहकारी, पंचायत, स्थानीय निकाय, उनके संघ/एसपीवी/जेवी आदि सभी आवेदन करने के पात्र हैं।

16.0 <u>परियोजना मूल्यनिरूपक घटक</u>

16.1 <u>परियोजना विकासकर्ता का चयन</u>

i) परियोजना विकासकर्ता परियोजना को 5 वर्षों के लिए बनाओ, चलाओ, रखरखाव करो और हस्तांतरित करो आधार पर क्रियान्वित करेंगे। संयंत्र राज्य सरकार को 5 वर्ष बाद चालू हालत में हस्तांतरित किया जाएगा। सभी बदले गए कलपुर्जे राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे।

ii) डीपीआर तैयार करते समय परामर्शदाता परियोजना की क्षमता तथा परियोजना के चालू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत लोड तथा उत्पादन हेतु आवश्यक ऊर्जा का अनुमान प्रस्तुत करेंगे। लोड का परिकलन करते समय प्रत्येक आवास के लिए 2 लाइट प्वाइंट (11/18 वॉट प्रत्येक) तथा एक सॉकेट (40 वॉट) का प्रावधान करने पर विचार किया जा सकता है।

iii) परियोजना विकासकर्ता गांवों से टैरिफ एकत्र करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

iv) परियोजना विकासकर्ता का चयन निविदाओं के आधार पर किया जाएगा, जो क्रियान्वयन एजेंसी दो भाग में मंगाएंगे, जिसमें एक भाग में पूंजी लागत (उपर्युक्त 12.1 (क) के अनुसार) और दूसरे भाग में अगले पांच वर्षों के लिए विद्युत उपलब्ध कराने की लागत शामिल होगी (उपर्युक्त 12.1 (ख) के अनुसार)। प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति तथा परियोजना विकासकर्ता को राजस्व वसूली (संग्रहित टैरिफ के समायोजन के बाद) क्रियान्वयन एजेंसियों के सेवा प्रभारों से की जाएगी (राज्य सरकारों के लिए 8% तथा सीपीएसयू के लिए 9%)। दूसरे भाग की बोली उक्त वर्णित सेवा प्रभार से अधिक नहीं हो सकती। केवल वही राज्य सरकारें डीडीजी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पात्र होंगी, जो परियोजना विकासकर्ताओं को सेवा प्रभार देने की सहमति देते हैं। दोनों भागों की निविदाओं का संयुक्त रूप से मूल्यांकन होगा, अर्थात दोनों भागों को मिलाकर 5 वर्षों के लिए। आरजीजीवीवाई-डीडीजी उप घटक की प्रतिबद्धताओं और शर्तों पर सहमति के लिए विद्युत मंत्रालय और परियोजना विकासकर्ता की ओर से एसआरईडीए/राज्य यूटिलिटी/राज्य ऊर्जा विभाग और आरईसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस त्रिपक्षीय समझौते को विद्युत मंत्रालय अनुमोदित करेगा। समझौते के रूप में (क) परियोजना विकासकर्ता परियोजना क्षेत्र में टैरिफ संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत होगा (ख) राज्य सरकार प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा राजस्व आय के बीच के

अंतर की पूर्ति क्रियान्वयन एजेंसियों को परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा देय सेवा प्रभार में से की जाएगी।

16.2 अन्य घटक

i) चयनित परियोजना विकासकर्ता 12.1 (क) के अनुसार कुल परियोजना लागत बैंक गारंटी के रूप में 10% ठेका निष्पादन गारंटी देंगे जो 2 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे परियोजना चालू किए जाने की तारीख से 5 वर्ष और 6 महीने तक के लिए नवीनीकृत किया जाना है।

ii) सफल विकासकर्ता ठेके के अनुसार महीने में कम से कम 25 दिन निर्धारित समय-खंडों में प्रतिदिन 6-8 घंटे विद्युत आवश्यक मात्रा में आपूर्ति करने के लिए जिम्मेवार होगा और ऐसा नहीं करने पर विकासकर्ता कम विद्युत आपूर्ति के लिए 10% प्रभार की दर से परिसमाप्ति हर्जाने(एलडी) का भुगतान करेगा। इस राशि की कटौती परियोजना विकासकर्ता को होने वाले वार्षिक भुगतान से की जा सकती है।

iii) ग्रामीण लोगों को विद्युत संयंत्र चलाने के लिए प्रशिक्षण देने/क्षमता निर्माण की जिम्मेवारी परियोजना विकासकर्ता की होगी।

iv) 5 वर्ष बाद क्रियान्वयन एजेंसी को परियोजना को अधिग्रहीत करने या वार्ता के आधार पर निर्धारित दर अथवा सीमित या खुली निविदा प्रक्रिया के आधार पर परियोजना को चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी या किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित कर देगी।

v) यदि ग्रिड विद्युत गांव में 5 वर्ष के पूर्व पहुंच जाता है तो डीडीजी परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत को आवश्यकतानुसार ग्रिड को दिया (एक्सपोर्ट) जा सकता है या ग्रिड से लिया (इम्पोर्ट)जा सकता है।

vi) डीडीजी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए परियोजना विकासकर्ताओं को अन्य स्रोतों से अतिरिक्त सहायता/निधि जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

vii) डीडीजी परियोजनाओं की संवहनीयता के लिए केवल लाइटिंग (प्रकाश) के दायरे से बाहर निकलना आवश्यक है, इस कारण डीपीआर तैयार करते समय परामर्शदाता इसमें वैसे गैर-घरेलू/उपयोगी कार्य

भी शामिल करेंगे, जो इन गांवों के समग्र विकास में सहायक हो।

viii) डीडीजी परियोजनाओं के मामले में टैरिफ निर्धारित करने के लिए विद्युत/कि.वा.घंटा की पारंपरिक बिक्री पद्धति के स्थान पर लाइट प्वाइंट/ माह भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक निश्चित दर तय करना अधिक व्यावहारिक होगा।

17.0 मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

i) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना से प्रत्याशित लाभों की सख्ती से मॉनीटरिंग हो और क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आरईसी और विद्युत मंत्रालय को परियोजना की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति दर्शाते हुए एक मासिक रिपोर्ट भेजे।

ii) क्रियान्वयन एजेंसी निधियों का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित करेगी।

18.0 डीडीजी परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट अर्जित करना

नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित परियोजनाओं के लिए स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की संभावनाएं हैं। ये परियोजनाएं विनियामक और स्वैच्छिक-दोनों बाजारों के अंतर्गत पात्र हैं।

चूंकि एकल गांव आधार पर प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) की मात्रा कम है, इस कारण यह उचित होगा कि ऐसी अनेक परियोजनाओं को समूहबद्ध किया जाए और क्रियान्वयन एजेंसी, भावी समुदाय लाभ कार्यक्रमों के लिए इन लाभों को प्राप्त करने के प्रयास करेंगी।

19.0 दिशानिर्देशों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी क्रियान्वयन सहायता समूह (आई एसजी) और मॉनीटरिंग समिति की सिफारिश के अनुसार समुचित जांच के पश्चात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर सकते हैं।

20.0 उक्त योजना पर होने वाले व्यय को वर्ष 2007-08 के विद्युत मंत्रालय की अनुदान संख्या 72 के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्ष तथा बाद के वर्षों में तदनुरूपी लेखा शीर्ष में नामे (डेबिट) किया जाएगाः-

2801- विद्युत (मुख्य शीर्ष)

06 ग्रामीण विद्युतीकरण (उप-मुख्य शीर्ष)

06.800 अन्य व्यय (लघु शीर्ष)

03-रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए

03.00.33 सब्सिडी

21.0 इस आदेश को आरजीजीवीवाई संबंधी मॉनीटरिंग समिति ने दिनांक 23.12.2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।

(देवेन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों के सचिव (विद्युत/ऊर्जा)
3. सभी राज्य यूटिलिटियों के अध्यक्ष
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, स्कोप कांप्लेक्स, नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपः</u>

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (योजना वित्त), नई दिल्ली
4. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
5. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली
6. सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली
7. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, पंचायती राज विभाग, नई दिल्ली
9. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली
10. पूर्वोत्तर विकास विभाग, नई दिल्ली
11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी
12. सचिव (विद्युत) के पीपीएस/अपर सचिव (ए के) के वरिष्ठ पीपीएस/अपर सचिव (जीबीपी) के पीपीएस
13. सभी संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/उपसचिव, विद्युत मंत्रालय

अनुबंध 1

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत तीन चरणीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

क. (क) प्रथम चरण

परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए) गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे के प्रथम चरण के लिए जिम्मेवार होगी। इसके अलावा पीआईए तीसरी पार्टी निरीक्षण एजेंसी को भी नियुक्त करेगी, जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि उपयोग की सभी सामग्री तथा कार्य-कौशल निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों। यह कार्य आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निधियों को चरणबद्ध रूप में जारी करने के साथ समकालिक बनाया जाएगा और निधियों को जारी करने के संबंध में निरीक्षण तथा सुधारात्मक कार्रवाई का सबूत प्रस्तुत करना एक अनिवार्य अपेक्षा है। निरीक्षण में प्रत्येक परियोजना के लिए यादृच्छिक नमूना आधार पर 50% गांव शामिल किए जाएंगे।

(ख) द्वितीय चरण

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन अपने गैर-क्षेत्रीय कार्मिकों से तथा इन्हें बाह्य लोगों द्वारा कार्यों/सामग्री का निरीक्षण कराएगा। बाह्य लोगों के रूप में आरईसी, राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा ले सकता है। परियोजना क्रियान्वयन के माध्यम से आरईसी द्वारा ऐसी सभी रिपोर्टों को व्यवस्थित किया जाएगा और उनका विश्लेषण किया जाएगा। इन लोगों को आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) के रूप में जाना जाएगा।

इस निरीक्षण में, बड़ी-बड़ी सामग्री के विक्रेताओं के निकासी -स्थल पर माल लादे जाने से पहले गुणवत्ता जांच करना और यादृच्छिक नमूना आधार पर 10% गांवों की जांच करना भी शामिल है।

(ग) तृतीय चरण

1. विद्युत मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपूर्ति और उत्थापन के यादृच्छिक मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं (व्यक्तियों/एजेंसी) को नियुक्त करेगा। इन लोगों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) के रूप में जाना जाएगा। संबंधित राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वह एनक्यूएम द्वारा कार्य का निरीक्षण किए जाने में उन्हें सहायता प्रदान करें। उन्हें सभी प्रकार के प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय अभिलेखों को देखने का अधिकार दिया जाएगा। यह मूल्यांकन 1% गांवों में किया जाएगा। एनक्यूएम जिले में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सामान्य कार्य पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे।

2. मॉनीटर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। आरईसी द्वारा एनक्यूएम की रिपोर्ट आरक्यूएम को भेजी जाएगी ताकि निर्धारित अवधि में समुचित कार्रवाई की जा सके। यदि आरक्यूएम या एनक्यूएम द्वारा की गई गुणवत्ता जांच में 'असंतोषजनक' कार्य का पता चलता है, तो क्रियान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित समय के भीतर ठेकेदार (यथास्थिति) सामग्री बदले या कार्य-कौशल में सुधार करे। एनक्यूएम रिपोर्ट के मामले में आरईसी गुणवत्ता समन्वयक प्रति माह, प्रत्येक लंबित रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा। आरईसी के गुणवत्ता समन्वयक से सुधार संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरक्यूएम या एनक्यूएम द्वारा ऐसे सभी कार्यों का पुनः निरीक्षण किया जाएगा, जिन्हें 'असंतोषजनक' बताया गया था। आरईसी एक कार्यपालक निदेशक को मॉनीटरिंग प्रणाली के प्रभारी के रूप में नामित करेगा।

3. किसी जिले/राज्य में कार्य की गुणवत्ता पर बार-बार प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर उस क्षेत्र में तब तक के लिए कार्यक्रम को निलंबित किया जा सकता है जब तक कि दोषपूर्ण कार्य के कारणों का समाधान न कर लिया जाए।

4. कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदनों को प्राप्त करने एवं उनकी जांच करने के लिए आरईसी गुणवत्ता समन्वयक/तीसरी पार्टी निरीक्षण यूनिट प्राधिकारी होंगे और वे 30 दिनों के भीतर शिकायत की समुचित जांच कर शिकायतकर्ता को उत्तर देने के लिए जिम्मेवार होंगे। इस प्रयोजन से आरईसी निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगाः-

(i) शिकायत प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में आरईसी गुणवत्ता समन्वयक/ तीसरी पार्टी निरीक्षण यूनिट का नाम, पता एवं अन्य ब्यौरों का राज्य में व्यापक प्रचार (निविदा सूचना, वेबसाइट आदि में भी) किया जाएगा

(ii) सभी शिकायतों की प्राप्ति-सूचना (पंजीकरण संख्या देते हुए) भेजी जाएगी और उत्तर देने की संभावित तारीख भी बताई जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत की जांच के परिणाम और उन पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा।

(iii) विद्युत मंत्रालय, आरईसी के माध्यम से प्राप्त शिकायत सामान्यतः जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आरईसी गुणवत्ता समन्वयक को भेजेगा। यदि आरक्यूएम से रिपोर्ट वांछित हो तो यह विनिर्दिष्ट समय में भेज दी जाएगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर समुचित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आरईसी एक एनक्यूएम भेज सकता है और आगे की कार्रवाई केवल एनक्यूएम की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

(iv) आरक्यूसी, आरईसी को मासिक रिपोर्ट (विहित प्रपत्र में भेजेगा और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति पर जिला समितियों में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(v) आरईसी शिकायतों, निरीक्षण एवं संशोधन से संबंधित एक वेबसाइट तैयार कर सकता है।

अनुबंध 2

प्रौद्योगिकी निर्णय माध्यम

(अधिकांश मामलों में पारंपरिक डीजी सेट विकल्प होंगे)

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का मूल्यांकन

पहला विकल्प
स्थानीय ग्रिड के साथ ग्राम-समूह के लिए माइक्रो-हाइडल

हां

क्या माइक्रो-हाइडल संभव है — हां — क्या गांवों का समूह संभव है

नहीं

दूसरा विकल्प
अलग-अलग गांवों के लिए माइक्रो-हाइडल

तीसरा विकल्प
स्थानीय ग्रिड के साथ केन्द्रीकृत जैव-ईंधन आधारित संयंत्र एवं निकास सुविधा है

हां

नहीं

क्या गांवों का समूह संभव है

क्या जैव -ईंधन स्थानीय रूप से उपलब्ध है

नहीं

चौथा विकल्प
जैव - ईंधन आधारित अलग-अलग विद्युत संयंत्र

पांचवां विकल्प
ग्राम-समूह के लिए स्थानीय ग्रिड के साथ केंद्रीकृत जैवमास आधारित विद्युत संयंत्र

नहीं

हां

क्या अधिशेष जैवमास उपलब्ध है और सतत प्रबंधन संभव है — हां — क्या गांव का समूह बनाना संभव है

नहीं

छठा विकल्प
गैसिफायर आधारित अलग-अलग विद्युत संयंत्र

सातवां विकल्प
ग्राम-स्तरीय जैवगैस आधारित डीजी सेट — हां — क्या पशु अपशिष्ट उपलब्ध हैं

नहीं

आठवां विकल्प
ग्राम स्तरीय एसपीवी आधारित विद्युत संयंत्र

नौवां विकल्प
पवन/डीजल/सोलर हाइब्रिड या अन्य नवीन प्रौद्योगिकी विकल्प पर आधारित डीडीजी

<u>**अनुबंध-4**</u>

क्रियान्वयन सहायता समूह की भूमिका एवं जिम्मेवारियां (आईएसजी)

वित्तपोषण एजेंसी को सहायता तथा सभी आंकड़ों/सूचनाओं के परियोजना विकासकर्ताओं के लिए एकल पटल(सिंगल विंडो)

1. गांवों/लक्षित परियोजना क्षेत्रों का अभिनिर्धारण
2. व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और जांच सूची (चेकलिस्ट) तैयार करना।
   - रिपोर्ट की विषय-वस्तु
   - मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन.
   - प्रत्येक चरण में स्वीकृतियों एवं आवश्यकताओं की सूची तैयार करना
3. परियोजना विकासकर्ताओं के लिए निम्नलिखित प्रयोजन हेतु दिशानिर्देश एवं मानदंड तैयार करनाः-

- परियोजना क्रियान्वयन सहायता
- परियोजना की निगरानी
- गुणवत्ता आश्वासन
- क्षमता निर्माण
- परियोजना क्लोजर
- प्रचालन चरण सहायता

4. आरईसी को सहायता
   - तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन
   - परियोजना की मॉनीटरिंग
   - योजना क्रियान्वयन के लिए एमआईएस सहायता
   - परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रचालन में सभी चरणों में दिशानिर्देश एवं प्रक्रिया तैयार करना.
   - गुणवत्ता मापदंड निर्धारित करना
   - मॉनीटरिंग मानदंड और जांच लक्ष्य तय करना
5. निम्नलिखित के लिए मॉनीटरिंग मापदंड और जांच सूची (चेकलिस्ट) तैयार करना
   - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति (परियोजना अनुमोदन हेतु)

   आईएसजी/आरईसी और क्रियान्वयन एजेंसी के बीच चरण और परस्पर संबंध प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश के

माध्यम से तय किए जाएंगे।

6. अनुदान उपयोग की लेखा परीक्षा करना
7. योजना क्रियान्वयन के सभी पहलुओं एवं सुपुर्दगीयोग्य सामानों के आंकड़े संग्रह का रखरखाव
8. सभी स्टेकहोल्डरों को एकल पटल (सिंगल विंडो)
   - आंकड़े/सूचना सहायता
   - नई तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता
   - लक्षित परियोजना क्षेत्रों का अभिनिर्धारण
9. नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित अनुप्रयोग परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।

अनुबंध- 5

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना (निम्नलिखित सूची सांकेतिक है)

- ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिले का नाम
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांवों की संख्या
- परियोजना के लिए चयनित गांव/पुरवे का नाम
- ग्राम जनगणना कोड
- निकटतम रोड-हेड से दूरी
- ग्रिड से दूरी
- गांव/पुरवे की कुल आबादी
- घरों की संख्या
- गांव में पुरवें/दलित बस्तियों की संख्या
- बीपीएल आवासों की संख्या
- सामाजिक संरचना का प्रकार
- समुदाय भवन- स्कूल, जन स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर आदि
- मुख्य व्यवसाय, नकदी फसल दर्शाते हुए
- संसाधन की उपलब्धता- नहर, बायोमास का प्रकार, स्थानीय ईंधन लकड़ी/तेल की बीज वाली प्रजाति, यदि कोई हो।
- खाली भूमि/बंजर भूमि/अकृषित भूमि आदि
- ऊर्जा मांग एवं आवास का सांकेतिक अनुमान
    - आवास- लाइटिंग, अन्य
    - समुदाय सेवा स्ट्रीटलाइट सहित,
    - सिंचाई/कृषि तथा प्रचालन
    - वाणिज्यिक
- ऊर्जा/ईंधन उपयोग की वर्तमान पद्धति तथा प्रति आवास औसत मासिक खपत
- गांव में वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा उपाय, यदि कोई हो
- प्रयोग किया जाने वाला प्रौद्योगिकी पैकेज
- ऊर्जा प्रणाली की सांकेतिक क्षमता
- योजना, क्रियान्वयन एवं राजस्व प्रबंधन सहित प्रबंधन में स्थानीय क्षेत्रों की

भूमिका

- गांव/पुरवे के साथ पहले से जुड़े स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के ब्यौरे
- इस गांव के आसपास गैर-विद्युतीकृत कोई अन्य गांव/पुरवा

अनुबंध-6

डीडीजी योजना

- अनुमोदन प्रक्रिया

गतिविधियां/चरण	जिम्मेवारी	सहायता प्रदानकर्ता
गांवों/प्राथमिकता का अभिनिर्धारण	क्रियान्वयन एजेंसी	वितरण कंपनी/एमएनआरई
डीपीआर की तैयारी	क्रियान्वयन एजेंसी	परामर्शदाता
डीपीआर की समीक्षा और अनुमोदन हेतु सिफारिश	क्रियान्वयन सहायता समूह	
डीपीआर का अनुमोदन	विद्युत मंत्रालय	आरईसी
परियोजना विकासकर्ताओं से बोलियां मंगाना	क्रियान्वयन एजेंसी	
परियोजना विकासकर्ताओं को शार्टलिस्ट करना/चुनना	क्रियान्वयन एजेंसी	
परियोजना को सौंपना एवं उसका क्रियान्वयन	क्रियान्वयन एजेंसी	